न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 212/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00334

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत ईसाली 2. माया कवंर/इन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ईसाली तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/04/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 53/2013–14, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.09.2014 एवं उसकी पालना मे अप्रार्थी माया कवंर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 99 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, मारवाड जंक्शन ने वक्त बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ईसाली के पूर्व सरपंच मोहन कवंर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपने परिजन अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसके सन्दर्भ में श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के आदेश व श्रीमान के कार्यालय आदेश की पालना में जैर पंचायत निगरानी न्यायालय में पेश की गई हे। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा नियम 157(ख) के तहत के तहत जारी किया गया। उक्त नियम के तहत पुराना कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के प्रावधान है परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत ईसाली के पूर्व सरपंच ने पद पर रहते हुये अपने परिवारजन के पक्ष में विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

हमने प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ईसाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा मिसल संख्या 53/2013–14, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.09.2014 एवं उसकी पालना मे अप्रार्थी माया कवंर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 99 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र था कि ग्राम पंचायत ईसाली के सरपंच पद पर होते हुये अपने परिजनों के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 तत्कालीन सरपंच मोहन कंवर के परिजन थे। साथ ही जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल की आदेशिका दिनांक 05.10.2014 के अनुसार अप्रार्थी माया कंवर सरंपच मोहन कंवर के परिजन है, इसलिये उक्त प्रकरण अध्यक्षता उपसरपंच द्वारा की गई परन्तु उक्त पट्टा जारी करने के अन्तिम आदेश के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में सरपंच मोहन कंवर के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट है कि मोहन कंवर उक्त पट्टे को जारी किये जाने की प्रक्रिया में बतौर अध्यक्ष उपस्थित थे तथा अप्रार्थी माया कंवर, सरपंच मोहन कंवर की परिजन है यह आदेशिका दिनांक 05.10.2014 में द्वारा ग्राम पंचायत स्वयं की स्वीकारोक्ति है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 48(3) के अनुसार "किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायती राज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि वह ऐसा प्रश्न है, जिसमें जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई धनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये, तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा" तथा धारा 48(4) के अनुसार "यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में बैठक में उपस्थित किसी भी व्यक्ति का यह विश्वास हो कि चर्चा के अधनी के किसी भी मामले में उसका कोई भी ऐसा धनीय हित है और यदि उस प्रभाव का कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह बैठक में ऐसी चर्चा के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा।" परन्तु हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा जिस बैठक के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव लिये गये उन सभी बैठक (बैठक दिनांक 05.10.2014 को छोडकर) के प्रस्ताव पर सरपंच के रूप में मोहन कंवर के हस्ताक्षर है, लिहाजा यह जाहिर है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज के उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLR 2004(1) 237 Manoj kumar vs state of raj & ors. अनुसार Constitution of India, Art. 14-Raj. Panchayat (General) Rules, 1961, R.266-Plots in abadi land were allotted by the Gram panchayat to Up-Sarpanch and his close relatives including appellant (son of Up-Sarpanch) by private negotiations and not by recourse to auction-Held, action of Panchayat was arbitrary and denial of equality-Contention of appellant that there cannot be challenge to patta after 10 years, held, not acceptable since it is a case of gross violation of the rules. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 136 Sampat lal Sethia vs state of Rajasthan & Ors. अनुसार प्रार्थी के परिवार के 10 सदस्यों को भूमि आंवटित की–सुसंगत समय पर वह उपसरपंच था–कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार की एवं आवंटन निरस्त किया–पुराने कब्जे का सबूत नहीं–प्रार्थी का युक्तियुक्त दावा नहीं–नियम 266 के उल्लंघन में आवंटन किया–पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ने अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग किया–कलेक्टर ने अवैधता को सही किया–आदेश उचित एवं न्यायसंगत है एवं पुष्टि की।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त आवेदन पर दिनांक 23.03.2013 अंकित है तथा सरपंच द्वारा उक्त आवेदन को कार्यालय टिप्पणी सहित दिनांक 25.03.2013 को पेश होना बताया परन्तु जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त आवेदन के क्रम में दिनांक 23.03.2013 को ही मिसल कायम कर दी गयी साथ ही विचारणीय बिन्दु यह भी है कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार उस दिनांक को कोई बैठक ही नहीं हुई, साथ ही आदेशिका दिनांक 23.03.2013 को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेशिका पूर्व से लिखी हुई थी, जिसमें अप्रार्थी का नाम पश्चातवर्ती अंकित किया गया है। आदेशिका दिनांक 25.03.2013 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 25.03.2013 प्रस्ताव संख्या 4, बैठक दिनांक 06.05.2013 प्रस्ताव संख्या 3 को देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्ताव पश्चातवर्ती अंकित किये हुये है। जैर निगरानी मिसल की आदेशिका दिनांक 20.08.2014 में सरपंच की मोहर पर उपसरपंच के हस्ताक्षर है परन्तु बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 20.08.2014 में सरपंच मोहन कंवर के हस्ताक्षर है तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उक्त बैठक में उपसरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आश्चर्यजनक तथ्य यह सामने आया कि मिसल की आदेशिका दिनांक 05.10.2014 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया परन्तु बैठक दिनांक 20.09.2014 प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायत आबादी भूमि की मिसले 01/13–14 to 55/13–14 के पट्टे सर्वसहमति से जारी करने का निर्णय लिया गया। जब बैठक दिनांक 20.09.2014 के द्वारा ही प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का निर्णय लिया जा चुका है तो पुनः आदेशिका दिनांक 05.10.2014 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाना पंचायतीराज नियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान कार्बनकॉपी है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996–नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है, हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टा देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 53/2013–14, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.09.2014 एवं उसकी पालना मे अप्रार्थी माया कवंर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 99 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली